सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 03 अप्रैल, 2023 ई0

चैत्र 13, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 131/XXXVI(3)/2023/74(1)/2022

देहरादून, 03 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 31 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 05, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2023)

उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।
		(2)	अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 1 में संशोधन	2.		उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 के द्वितीय परन्तुक के, पश्चात् निम्नवत् स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:– स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनार्थ "सम्पूर्ण उत्तराखण्ड" में, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित समस्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित समस्त संक्रमणशील क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र भी सम्मिलित है।'
धारा 233क का अंतःस्थापन	3.		मूल अधिनियम की धारा 233 के पश्चात् नई धारा निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–
		"अध्यारोही प्रभाव	233क. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा निर्देशों में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य एवं प्रभावी समझे जाएंगे।"
विधिमान्यकरण	4.		धारा 2 द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन मूल अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से किये गये समझे जाएंगे और तद्नुसार उक्त तारीख को या उसके पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के

			लिए तात्पर्यित कार्रवाई या बात, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी सभी प्रयोजनों के लिए उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हैं।
निरसन और व्यावृत्ति	5.	(1)	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,
शमशेर अली,
अपर सचिव।

No. 131/XXXVI(3)/2023/74(1)/2022
Dated Dehradun, April 03, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901) (Amendment) Act, 2022' (Act No. 05 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 31 March, 2023.

The Uttarakhand (the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901) (Amendment) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 05 of 2023)

An

Act

Further to amend the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (Uttarakhand Adaptation and Modification Order, 2001) in the context of the State of Uttarakhand,

Be it enacted by Uttarakhand State Legistative Assembly in the Seventy third year of the Republic of India as follows-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Land Revenue Act,1901) (Amendment) Act, 2022

(2) Save as otherwise provided it shall come into force at once.

Amendment of section 1

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act,1901 (the Uttarakhand Adaptation and Modification Order 2001) (hereinafter referred to as principal Act) after second proviso a explanation shall be inserted as follows, namely:-

"**Explanation:** for the purpose of this section **"whole of Uttarakhand"** also includes all the larger urban areas, declared as such under section 3 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959 (as applicable in the State of Uttarakhand). and all transitional area, smaller urban area, declared as such under section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act,1916 (as applicable in the State of Uttarakhand)."

Insertion of new section 233A

3. In principal Act after section 233, the following new section shall be inserted as follows, namely:-

"Over riding effect

233A. Notwithstanding anything inconsistent there with contained in any other Act or judgment/decree/order or directions of any court, the provisions of this Act, shall be valid and effective."

Validation 4. The amendments made in the principal Act by section 2 shall be deemed to have been made with effect from the date of commencement of the principal Act and accordingly any action or thing taken or done or purporting to have been taken or done under the principal Act on or after the said date and before the commencement of this Act, shall, notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, be deemed to be, and to have always been, for all purposes, as validly and effectively taken or done as if the said amendments had been in force at all material times.

Repeal and Savings 5. (1) The Uttarakhand (the Uttar Pradesh Land Revenue Act,1901) (Amendment) Ordinance, 2022, is hereby repealed,

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

SHAMSHER ALI,
Additional Secretary.

कारण और उद्देश्य

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य में प्रदेश स्तर पर नगर निकायों के विस्तार होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) अधिनियम में दाखिल–खारिज की कार्यवाही पर दिये गये मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों में स्पष्टता न होने के कारण उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2022 प्रख्यापित किया गया था, ताकि वर्तमान तथा भविष्य में राजस्व विभाग के अन्तर्गत भू–राजस्व प्राप्त होने के साथ–साथ दाखिल–खारिज की कार्यवाही न होने से उत्पन्न भूमि विवाद तथा उत्पन्न कठिनाईयों का समाधान हो जायेगा।

2– उपरोक्त विधेयक उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) अध्यादेश, 2022 का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 विधायी / 171–2023–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।